भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1476

दिनांक 20 सितम्बर, 2020 के लिए प्रश्न

विषय : आवारा पशुओं के लिए आश्रय गृह

1476. श्री रवनीत सिंहः

क्या मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में गाय, कुत्ते इत्यादि घायल आवारा पशुओं की देखभाल करने वाले सरकारी एवं गैर-सरकारी आश्रय गृहों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कई आश्रय गृह, जगह एवं अन्य सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे हैं जिससे इन आवारा पशुओं की उचित देखभाल ढंग से नहीं हो पा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वित्तीय आवंटन बढ़ाने एवं इन आश्रय गृहों में अधिक जगह का प्रावधान करने सहित सुविधाओं में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसक क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (एडब्लूबीआई) देश में आवारा/घायल पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रहे और संबंधित जिले में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, ट्रस्ट डीड आदि के तहत यथा पंजीकृत पशु कल्याण संगठनों (एडब्लूओ) और पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी (एसपीसीए) को मान्यता प्रदान करता है। एडब्लूबीआई ने पशु कल्याण के लिए कार्य करने वाले 3631 एडब्लूओ/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को मान्यता प्रदान की है। मान्यता प्राप्त एडब्लूओ/एनजीओ/एसपीसीए की राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार सूची अनुबंध-1में सलंग्न है। तथापि, विस्तृत विवरण http://www.awbi.in/awbi-pdf/Recognition%20list%2016.09.2020.pdf पर भी देखा जा सकता है।

(ख) और (ग) जी हां। कुछ संगठनों ने सूचित किया है कि वे और अधिक आवारा/बेघर पशुओं को आश्रय देने के लिए जगह की कमी और आवारा/बेघर पशुओं की उचित देखभाल करने के लिए नए आश्रय गृह और अन्य अवसरंचना सुविधाओं की स्थापना हेतु निधियों की कमी का सामना कर रहे हैं।

(घ) भारत के सविंधान के अनुच्छेद 246 (3), सातवीं अनुसूची की सूची-।। के अनुसार पशुधन का परीरक्षण, सरंक्षण तथा सुधार और जीव-जंतुओं के रोगों का निवारण, पशुचिकित्सा प्रशिक्षण एवं व्यवसाय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जिस पर सातवीं अनुसूची की सूची-।। में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में उस राज्य या तत्संबंधी भाग के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्तियां राज्य के पास हैं। इसके अलावा, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार, राज्य पंचायतों को गोपशु अहातों (कांजीगृह)/गौशाला आश्रय गृहों (सामुदायिक संपत्ति) की स्थापना करने और संचालन करने में सक्षम बनायेंगे। कई राज्य आवारा गोपशुओं के नियंत्रण के लिए गौशालाओं और आश्रयगृहों की स्थापना कर रहे हैं। तदनुसार, कई राज्य आवारा पशुओं के लिए गौशालाओं और आश्रयगृहों की सहायता कर रहे हैं।

हालांकि, एडब्लूबीआई मान्यता प्राप्त एडब्लूओ/एनजीओ/एसपीसीए और स्थानीय निकायों को नये पशु आश्रयगृहों की स्थापना के लिए आश्रय गृह नामक योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें चारदीवारी का निर्माण, आश्रय गृह, पानी के टैंक, नाले, इन-हाउस डिस्पेंसरी, चिकित्सा उपकरण, आकस्मिक व्यय आदि शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, एडब्लूबीआई ने इस योजना के अंतर्गत **24 एडब्लूओ** को 2,50,00000 रू. की वित्तीय सहायता की है।

एडब्लूबीआई मान्यता प्राप्त एडब्लूओ/एनजीओ/एसपीसीए को नियमित अनुदान योजना के अंतर्गत पशु आश्रय गृहों के रख-रखाव, पशु औषधियों, मेडिकल उपकरणों की खरीद और पशुचिकित्सा शिविरों आदि के आयोजन के लिए और अवैध ढुलाई/बूचड़खानों से बचाये गये पशुओं के रख-रखाव के लिए बचाए गए गोपशु रख-रखाव संबंधी अनुदान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, एडब्लूबीआई ने **6 एडब्लूओ** को इस योजना के अंतर्गत 26,39,500 रू. की वित्तीय सहायता दी है।

एडब्लूबीआई मान्यता प्राप्त एडब्लूओ/एनजीओ/एसपीसीए और स्थानीय निकायों को संकटग्रस्त पशुओं के लिए एंबुलेंस सेवाओं की व्यवस्था करने संबंधी योजना के अंतर्गत ढुलाई, बचाव और साथ ही संकटग्रस्त पशुओं को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने हेतु उपयुक्त वाहन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, एडब्लूबीआई ने **141 एडब्लूओ** को इस योजना के अंतर्गत 1,55,64,702 रू. की वित्तीय सहायता दी है।

****

अनुबंध-I

लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1476
20.09.2020 को उत्तर देने के लिए
श्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा पूछा गया

16.09.2020 **तक मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों की सूची**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एडब्लूओ की संख्या	क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एडब्लूओ की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप	1	20.	मध्य प्रदेश	407
2.	आंध्र प्रदेश	89	21.	महाराष्ट्र	214
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	22.	मणिपुर	14
4.	असम	15	23.	मेघालय	1
5.	बिहार	30	24.	मिजोरम	2
6.	छत्तीसगढ़	23	25.	नागालैंड	3
7.	चंडीगढ़	-	26.	ओडिशा	81
8.	दादरा और नगर हवेली	1	27.	पुडुचेरी	7
9.	दमन और दीव	-	28.	पंजाब	95
10.	दिल्ली	58	29.	राजस्थान	985
11.	गोवा	9	30.	सिक्किम	1
12.	गुजरात	276	31.	तमिलनाडु	217
13.	हरियाणा	336	32.	त्रिपुरा	13
14.	हिमाचल प्रदेश	29	33.	उत्तराखंड	42
15.	जम्मू और कश्मीर	8	34.	उत्तर प्रदेश	462
16.	झारखंड	15	35.	पश्चिम बंगाल	51
17.	कर्नाटक	75	36.	तेलंगाना	30
18.	केरल	35		संपूर्ण	**3631**
19.	लक्षद्वीप	-			

नोट: विस्तृत सूची http://www.awbi.in/awbi-pdf/Recognition%20list%2016.09.2020.pdf पर देखी जा सकती है।